कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1569 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 05 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुये ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।
प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/35909/2020

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/28/2019/एफ0सी0/1616 दिनांक 22–10–2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक 1008/12–1 दिनांक 19.11. 2024 के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–1)**
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–2)**
3.	**प्रतिपूरक वनीकरण :–**	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.104 हे0 गैर वन भूमि ग्राम जामटी (भदली) सिविल खसरा नं0 48, 134 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	(क) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.104 है0 गैर वानिकी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 7,09,435.00 जमा की जा चुकी है। **(संलग्न–3)**
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं	(ख) शर्त के अनुपालन में उप सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1070/X-3-22/1(11)/2019 दिनांक 27.10.2022 द्वारा संरक्षित

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वन घोषित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। **(संलग्न–4)**
	ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–5)**
4.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य :–**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	**(क)** शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 6,91,164.00 को ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–6)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**(ख)** उक्त शर्त के अनुपालन याचक विभाग द्वारा किया जायेगा तथा इसका शपथ–पत्र भी दिया गया है। **(संलग्न–7)**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 9 tree से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त के अनुपालन में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
6.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमति है। चालान की छाया प्रति संलग्न है। **(संलग्न–8)**
7.	State Govt. Will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out out under such permission after the expire of one year from the date of issue of such permission.	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईड लाईन में दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेशों की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसका कडाई से निगरानी करगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–9)**
8.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–10)**
9.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की सख्या बढाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–11)**
10.	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–12)**
11.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–13)**
12.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–14)**
13.	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–15)**
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–16)**

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
15.	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं सीमांकन की धनराशि ₹ 30,09,600.00 का ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी के पक्ष में जमा करायी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–17)**
16.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–18)**
17.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)**
18.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**
19.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–21)**
20.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–22)**
21.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–23)**

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
22.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–24)**
23.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 1569 / **12-1** दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती के पत्रांक 1008/12–1 दिनांक 19.11.2024 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–1800890915(टोल फ्री)
E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in
Phone & Fax no. 0135-2431159

पत्रांक सं0: 1008 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 19 / 11 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घट्धार, थानकोट, घेरा होते हुये ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No FP/UK/ROAD/35909/2020)

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक–1281/ FP/UK/ROAD/35909/2018, दिनांक 19.10.2020 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/28/2019/एफ0सी0/1616, दिनांक 22.10.2020 के द्वारा प्रश्नगत परियोजना में सैद्धान्तिक स्वींकृति जारी की गयी है, जिसमें अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग के द्वारा अपने पत्रांक–646/12–1, दिनांक 01.10.2024 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त का अवलोकन करने के उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में, मूल प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगें।

संलग्नक–यथोपरि।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
एवं संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
प्राप्ति सं0 1911
पत्रावली 12-1
दिनांक 22-11-24

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
19/11/24

संख्या:– / दिनांकित

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सा0 अधि0/प्रभारी टिहरी
आ0 का0 करें,
प्र0 व0 सं0/सा0 अधि0
23-11-2024

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 606 /12-1 नई टिहरी, दिनांक– 01-10- 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर माग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/35909/2020**)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/28/2019/एफ0सी0/1616, दिनांकः–22.10.2020 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलानी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांकः–1281/FP/UK/ROAD/35909/2018, दिनांकः–19.10.2020 एवं अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर, मुख्यालय–कीर्तिनगर का पत्रांक–1688/33सी, दिनांक–07.09.2024।

महोदय,

जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर माग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई हैः–

क्र सं	शर्त	अनुपालन आख्या
1	**शर्त सं0–01** के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थित नही बदली जाएगी।	शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
2	**शर्त सं0–02** के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
3	**शर्त सं0–03–प्रतिपूरक वनीकरण :–** क) प्रयोक्ता अभिकरण 2.104 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम–जामटी (भदली) सिविल खसरा नं0–48, 134 में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0–9,44,256.00 (नौ लाख चवालीस हजार दौ सौ छप्पन रूपये मात्र) जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार हैः– (ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	(क) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.104 है0 गैर वानिकी भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 709435.00 (सात लाख नौ हजार चार सौ पैतीस रू0) जमा करा दिये है। **(चालान की छाया प्रति संलग्न)** (ख) शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढवाल द्वारा अपने आदेश पत्र सं0–169/XI-19(2020-21) नई टिहरी, दिनांक–07.12.2021 से वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया गया है **(आदेश की प्रति संलग्न)** तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या–645/12–1, दिनांक–07–09–2022 से उक्त सी0ए0 भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को प्रेषित किया गया है, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक–572/12–1, दिनांक–21.09.2022 से सचिव वन अनुभाग–02, उत्तरखण्ड शासन को प्रेषित किया जा चुका है। **(पत्र की छायाप्रति संलग्न)** (ग) शर्त के अनुपालन में वन मंडल अधिकारी का प्रमाण प्रत्र संलग्न है।
4	**शर्त संख्या–4 शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्याः 202/1995 में IA नी 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी pt-2) दिनांक–18.09.2003,5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.052 है0 वन क्षेत्र में प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 691164.00 दिनांक–18.05.2021 को ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (चालान की प्रति एवं प्रमाण–पत्र संलग्न)।

	[illegible] से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च [illegible] प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त [illegible] यदि कोई हो, जो अ[illegible] देय हो, का राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्र[illegible] करेगा।	(ख) उक्त शर्त का अनुपालन याचक [illegible] द्वारा किया जायेगा तथा इसका शपथ पत्र भी [illegible] संलग्न है। (प्रमाण-पत्र संलग्न)
5	शर्त सं0–05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को [illegible] कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 09 Trees से [illegible] नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में [illegible] प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की क[illegible] लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 05 के अनुपालन में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
6	शर्त सं0[illegible] अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से [illegible] ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम [illegible] वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में प्राप्त/जमा किए जाएंगे।	शर्त सं0–06 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। चालान की छाया प्रति संलग्न है।
	[illegible] सं0–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण State Govt. will [illegible]orm to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelinges para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त सं0–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईड लाईन मे दिये गये दिशा निर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपको उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी। प्रमाण–पत्र संलग्न।
8	**शर्त सं0–08** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या–08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9	**शर्त सं0–09** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडों के अनुसार सडक के दोनो किनारो पर पौंधो की संख्या बढाएगा।	शर्त संख्या–09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
10	**शर्त सं0–10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त संख्या–10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
11	**शर्त सं0–11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या–11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
12	**शर्त सं0–12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	शर्त संख्या–12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
13	**शर्त सं0–13** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	शर्त संख्या–13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
14	**शर्त सं0–14** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
15	**शर्त सं0–15** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशनुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त सं0–15 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं सीमांकन की धनराशि 3009600.00 रू0 का ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के पक्ष मे जमा कर दी गई है। चालान की प्रति संलग्न।
16	**शर्त सं0–16** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	शर्त संख्या–16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
17	**शर्त सं0–17** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	शर्त संख्या–17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
18	**शर्त सं0–18** के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या–18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
19	**शर्त सं0–19** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक–29–01–2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या–19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
20	**शर्त सं0–20** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त संख्या–20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

	शर्त सं0–21 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियो के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही है।	शर्त संख्या–21 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	शर्त सं0–22 के अनुपालन में प्रयाक्ता अभिकरण द्वारा यदि कोई अन्य सम्बन्धितअधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश / आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
23	शर्त सं0–23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या–23 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी ~~तीन~~ 04 प्रतियों में मय संलग्नक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

संख्या : / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर, को आपके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन विभाग
प्राप्ति 2003
12-1
दिनांक 18.10.2024
उत्तराखण्ड

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–1 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–2 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–3 (क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 2.104 है0 ग्राम भदली पट्टी पौड़ीखाल सिविल की खसरा सं0 48, 1345 एवं खाता सं0 10/111 सिविल सोयम वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं जहॉ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वेदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण के 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 709435.00 की धनराशि ऑन लाईन चालान के माध्यम से दिनांक 18.05.2021 को जमा की जा चुकी है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

भारत सरकार, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पा0/06/20/2019/एफ0सी0/1616 दिनांक 22.10.2020 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली घटधार–थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान की गई हैं। जिसकी शर्त सं0 3(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.104हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम जामटी(भदली) सिविल खसरा सं0 48,134 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के कम उपजिलाधिकारी टिहरी द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 1514/वै0सहा0–विविध/2021 दिनांक 22.09.2021 एंव पत्र सं0 70/वै0सहा0–विविध/2021 दिनांक 24.11.2021 में उल्लेख किया है कि चौण्डी से भदली–घटधार–थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052हे0 वन भूमि के एवज में ग्राम भदली ज0वि0र0खतौनी खाता सं0 10/11 में दर्ज खसरा सं0 48/1.538हे0,134/0.566हे0 कुल 02 खेत रक्वा 2.104 हे0 भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित की गई हैं।उक्त भूमि पर जंगल है, जिसका इस्तेमाल ग्रामीण चारा–पत्ती के लिए करते हैं। वर्तमान समय में किसी भी ग्रामीण द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया हैं। यह भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़ के अन्तर्गत नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 10/111 में दर्ज अभिलेख हैं। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रक्वा (हे0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
भदली	पौड़ीखाल	10/111	48 1345म0	1.538हे0 0.566हे0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ
			योग–	2.104हे0	

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली–घटधार–थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365/XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशो के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी टिहरी के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 2.104 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती हैं। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करे।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–169 /XI–19 (2020–21)दिनांक,नई टिहरी, दिसम्बर, 07,2021.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण; वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
6– अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर।
7– उप जिलाधिकारी जाखणीधार।
8– तहसीलदार जाखणीधार को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

5/18/2021

AGENCY COPY

Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-05-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6135909566
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/28/2019/FC
Address.	T.D..P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR. TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	1400599/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

CA → 709435.00
NPV → 691164.00
1400599.00

Amount in Words.Fourteen Lakh Five Hundred and Ninety-Nine Rupees Only

Executive Engineer
P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
037122021 0607	

166555

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies

Note After making the required payment through ch then kindly mail a copy of your challan with transac Email: epurse@unionbankofindia.com

forestsclearance.nic.in/UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD3590

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–3 (ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चयनित ग्राम भदली पट्टी पौड़ीखाल सिविल की गैरवानिकी भूमि को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित कर दिया गया है तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की जा चुकी है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

भारत सरकार, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/28/2019/एफ0सी0/1616 दिनांक 22.10.2020 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली घटधार–थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान की गई हैं। जिसकी शर्त सं0 3(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.104है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम जामटी(भदली) सिविल खसरा सं0 48,134 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के कम उपजिलाधिकारी टिहरी द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 1514/वै0सहा0–विविध/2021 दिनांक 22.09.2021 एंव पत्र सं0 70/वै0सहा0–विविध/2021 दिनांक 24.11.2021 में उल्लेख किया है कि चौण्डी से भदली–घटधार–थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052है0 वन भूमि के एवज में ग्राम भदली ज0वि0र0खतौनी खाता सं0 10/11 में दर्ज खसरा सं0 48/1.538है0,134/0.566है0 कुल 02 खेत रक्बा 2.104 है0 भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित की गई हैं।उक्त भूमि पर जंगल है, जिसका इस्तेमाल ग्रामीण चारा–पत्ती के लिए करते हैं। वर्तमान समय में किसी भी ग्रामीण द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया हैं। यह भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़ के अन्तर्गत नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0 10/111 में दर्ज अभिलेख हैं। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रक्बा (है0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
भदली	पौड़ीखाल	10/111	48 1345म0	1.538है0 0.566है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ
			योग–	2.104है0	

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली–घटधार–थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365/XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशो के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्याः–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी टिहरी के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्बा 2.104 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करे।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–169 /XI–19 (2020–21)दिनांक,नई टिहरी, दिसम्बर, 07,2021.

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण; वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
6– अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर।
7– उप जिलाधिकारी जाखणीधार।
8– तहसीलदार जाखणीधार को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रमाण पत्र अमल दरामद

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चौण्डी से भदली–घटधार थानकोट घेरा होते हुये सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के नर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु दोगुने 2.104 हे0 वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ग्राम भदली ज0बि0र0 खतोली संख्या 10/111 में दर्ज खसरा सं0 48/1.538 है0, 134/0.566 हे0 कुल दो खेत रक्वा 2.104 हे0 भूमि जो कि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग न0 9(3) ड0 बंजर भूमि है का वन विभाग के पक्ष में हस्तानातरण की गई है। उक्त 2.104 हे0 भूमि वन विभाग के कब्जे में ले ली गई है। जो कि वन बीट अधिकारी......पौड़ीखाल बीट......के नियन्त्रण मे हो गई है।

अपर सहायक अभियन्ता

राजस्व उपनिरीक्षक

वन बीट अधिकारी
21/06/2022

तहसीलदार

वन क्षेत्राधिकारी

नकल खसरा ग्राम ~~मैली~~ मवली पट्टी पौड़ीखाल तह० नारायणबगड़ (टि०ग०)

खेत न०	रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे०	[illegible]	खातेदार का नाम
18	1.538	1.538	10/111	उ० प्र० की 9(3) बंजर
134	1.056 म०	0.566	10/111	—
योग 02	2.594	2.104	—	—

खसरे से नकल किया

[signature]

रा०उ० नि० पौड़ीखाल

उपरोक्त भूमि अपने कब्जे में ली गई।

[signature]

जसवन्त सिंह पंवार

[illegible]

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तह० जाखणीधार (टि०ग०)

विषय: जनपद टि०ग० के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चौण्डी, मवली, घटघार पानकोट क्षेत्र होते हुये ग्राम सिमलासू बैंड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन विषयक।

महोदय

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मन्त्रालय देहरादून का पत्रांक- 8बी०/यू०सी०पी०/06/281/2019/एफ०सी०/1616 दि० 22-10-2020 प्राप्त [illegible] गई है को ~~[illegible]~~ संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु सिविल सोयम भूमि का खसरा नं० 48, 134 को कुल क्षेत्रफल 1.052×2= 2.104 है० प्रस्तावित हेतु प्रस्तुत खसरा नं० [illegible] का मौका मुआयना किया गया उक्त खसरा नं० एकतातु में उ० रव० स० वर्ग 9(3) ख दर्ज है और भूमि का रकबा संरक्षित वन प्रस्तावित हेतु पर्याप्त है जिसका नक्शा व सिविल खसरा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सम्प्रेषित

[signature]
16-09-2021

लेखपाल-[illegible]
तहसील-जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल

रा०नि० [illegible] को प्रेषित

कृ० स्पष्ट आख्या भेजें
प्रस्तावित हेतु किस
खसरा नं० से कितना क्षेत्रफल
लिया गया है उक्त भूमि को
नक्शे में चिन्हित करें।

[signature]
[illegible]

प्रति हस्ताक्षरित
[signature]

महोदय ग्राम मवली के खसरा नं० 134 से
0.490 है० क्षेत्रफल कम करके वन भूमि
हस्तान्तरण हस्तान्तरण हेतु मानचित्र [illegible]

[signature]

नकल खतौनी NON ZA ग्राम भदली पट्टी पैडुलस्यूं [illegible] (1) खतौनी प्रारम्भ

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
10/111	उत्तराखण्ड सरकार	48	1.538										
	कर्ता 1(3) ज0 [illegible]	154 म0	0.566										
	योग	02	2.104 है0										

असल से नकल किया

[signature]

09.11.2021

पटवारी-गोमुख
तहसील-जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक 645 /12-1 नई टिहरी, दिनांक– 7/9/ 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली घटधार थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।(Online no. FP/UK/ROAD/35909/2018)

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–08बी./यू.सी.पी./06/28/2019/एफ0सी0/1616, दिनांक–22.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के भिलंगना राजि अन्तर्गत "जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली घटधार थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 है0 " वन भूमि के एवज में 2.104 है0 सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी–9(3)(ड़)) (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) का हस्तान्तरण व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल द्वारा अमल दरामद आदेश/पत्रांक–169/XI–19 (2020–21), दिनांक–07–12–2021 ।(संलग्नक–1) जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0	जनपद	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किस्म
1	टिहरी–गढ़वाल	भदली	पौड़ीखाल	10/111	48	1.538	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)(ड़)) कृषि योग्य बंजर भूमि
					134 म0	0.566	
					योगः–	**2.104**	

उक्त भूमि को वनक्षेत्राधिकारी, टिहरी रेंज द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है(संलग्नक–2)

महोदय, उपरोक्त प्रश्नगत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित 2.104 है0 सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी–9(3)(ड़)) (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) को भारतीय "वन अधिनियम 1927, यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम सं0–16वर्ष–1927) की धारा 29" के अन्तर्गत "संरक्षित वन" घोषित किया जाना है, जिस हेतु "अधिसूचना का ड्राफ्ट (हिन्दी व अंग्रेजी)"–(संलग्नक–03 व 04), शासनादेश हेतु संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः सहमति की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही करना चाहे।

o/c

संलग्नकः–

1– अमलदरामद आदेश।

2– वनक्षेत्राधिकारी, टिहरी रेंज द्वारा लिया गया कब्जा।

3– अधिसूचना का ड्राफ्ट।

4– दाखिला खारिज।

5– चयनित क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का जियोरेफरेन्स मैप।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

संख्याः– 645 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,उत्तराखण्ड देहरादून।

2– मुख्य वन संरक्षक(गढ़वाल) उत्तराखण्ड पौड़ी।

3– जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढवाल ।

4– उप प्रभागीय वनाधिकारी, घनसाली उप वन प्रभाग।

5– वनक्षेत्राधिकारी, टिहरी राजि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

O/C

Phone & Fax no.0135-2431159

email: cfbhagi-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 5772/12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 21/09/2022,।

सेवा में,

सचिव
वन अनुभाग–2,
उत्तराखण्ड, शासन

विषय – जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से मदली घट्यार थानकोट घेरा होते हुये सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online no.FP/UK/ROAD/35909/2018)

सन्दर्भ – भारत सरकार का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/28/2019/एफ0सी0/1616, दि0–22.10.2020 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी का पत्रांक–645/12–1, दिनांक– 07.09.2022।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि इस वृत्त के नियंत्रणाधीन टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी की भिलंगना राजि के अन्तर्गत **''जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से मदली घट्यार थानकोट घेरा होते हुये सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 है0''** वन भूमि के एवज में 2.104 है0 सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी–9(3)(ड) (अन्य कारणों से बंजर भूमि) का हस्तान्तरण व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा अमलदरामद आदेश/पत्रांक–169/XI-19(2020–21), दि0–07.12.2021 के द्वारा किया गया है **(संलग्न–01)**, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	जनपद	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षे0 (है0)	भूमि की किस्म
1	टिहरी गढ़वाल	मदली	पौड़ीखाल	10/111	48	1.538	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)(ड) कृषि योग्य बंजर भूमि
					134 म0	0.566	
					योग :–	2.104	

उक्त भूमि को वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना रेंज द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है **(संलग्नक–02)**। महोदय, उपरोक्त प्रश्नगत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित 2.104 है0 सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी–9(3)(ड) (अन्य कारणों से बंजर भूमि) को ''भारतीय वन अधिनियम 1927, यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा–29 के अन्तर्गत ''संरक्षित वन'' घोषित किया जाना है, जिस हेतु ''अधिसूचना का ड्राफ्ट'' **(संलग्नक–03 व 04)**, शासनादेश हेतु संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः सहमति की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न :– यथोपरि।

संलग्नक–
1– अमलदरामद आदेश।
2– वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना द्वारा लिया गया कब्जा।
3– अधिसूचना का ड्राफ्ट।
4– दाखिला खारिज।
5– चयनित क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का जियोरेफरेन्स मैप।

भवदीय,

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

10/10/22

संख्या 5721 /12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून

2- मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।

3- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

शर्त संख्या–03 (ग) का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम–भदली (जामटी) के खसरा नं0–48 व 134 कुल रक्वा 2.104 है0 सिविल भूमि पर किया जाना है। जिसमे कि पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत कोई वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राजि
नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–4 (क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 691164.00 को यूनियन बैंक ऑफ इण्ड़िया के माध्यम से कैम्पा फंड़ में चालान द्वारा दिनांक 18.05.2021 को यह राशि जमा कर दी गई है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

5/18/2021 ~~गेरेज~~ (पौड़ी/15) - 34007 - 542512

आगराखाल - टिहरी

AGENCY COPY

Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-05-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6135909566
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/28/2019/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412345710 1370-260070
Amount(in Rs)	1400599/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words Fourteen Lakh Five Hundred and Ninety-Nine Rupees Only

Executive Engineer
P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
037122021 0607	

166555

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CA - 709435.00
NPV - 691164.00
1400599.00

After making successful payment, User Agencies ...

Note After making the required payment through ch... then kindly mail a copy of your challan with transac... Email: epurse@unionbankofindia.com

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0—4 (ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि एन0पी0बी0 की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभांग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–5 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 09 वृक्षों से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–6 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड़ में हस्तान्तरित / जमा की जाने वाले धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गई है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–7 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाईड़लाईनस में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा–11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति वन विभाग को प्रेषित की जायेगी। साथ ही यह इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्धं में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–8 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

Annexure-I

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. 689 /XXVI – 34(2017-18) Dated .06/09/18.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.052 hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department, Kirtiangar** for **Construction of Chaundi to Simlasou Bend waya Bhadli, Ghatdhar, Thankot Ghera Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Amilda (Tok-Chaundi, Marora, Jamti (tok- Bhadli, Ghatdhar, Thankot), Khandi (Tok-Ghera)** Villages in **Jakhanidhar** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **1.052 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **30** to annexure 30.2
b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(सोनिका)

(जिला अधिकारी)

Distt. Collector

टिहरी गढ़वाल

It is further certified that – Minutes of meeting of Chaundi to Simlasoo Bend waya Bhadli, Ghatdhar, Thankot Ghera Motor Road (5.275 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.052 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला पंचायत सदस्य
जिला टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Signature

( )

Distt. Collector

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt (सोनिका) I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **1.052 Hectare** for the construction of **Chaundi to Simlasoo Bend waya Bhadli, Ghatdhar, Thankot Ghera Motor Road** in Tehsil **Jakhanidhar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of ……………………………. Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

(सोनिका)
जिला अधिकारी
District Collector Cum chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

Place :- Tehri

प्रपत्र—

[illegible] नाम:— [illegible] टिहरी गढ़वाल के [illegible] चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जाखणीधार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड जाखणीधार परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग (0.569 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.483 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.052 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जाखणीधार) की दिनांक 10/11/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सुश्री नूपुर वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1—	नूपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—	बी० के० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3—	[illegible]	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4—	[illegible] देवी जशोदा देवी उत्तर सिंह रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र चौण्ड जसपुर दशोली रयूटा आमदी	सदस्य बीना देवी जशोदा देवी [illegible]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.052 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

(70)

सम्बंधित उप [illegible] वनाधिकारी, रानीचौरी उप वन प्रभाग द्वारा [illegible] अधिकारी, [illegible] परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं [illegible] नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जाखणीधार परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट,घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.052 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– उप जिलाधिकारी
जनपद जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टि0 ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
तहसील– जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल।

जनपद टि0 ग0

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत [illegible] भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

दिनांक ....10/11/17.... उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद- टि0ग0

1.	श्रीमति नुपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	[signature] उप जिलाधिकारी जाखणीधार टिहरी गढ़वाल।
2.	श्री बी.के. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	[signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी उप वन प्रभाग
3.	श्री भुवनचन्द्र चपलियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	स0 स0 क0 अ0 देवप्रयाग टि0ग0 [signature]
4.	श्री बीना देवी जशोदा देवी अतर सिंह रावत मारकोडे	बी0डी0सी0 क्षेत्र ग्राम प्रधान मारकोडे दशोली स्यूट। जाखनी (देवप्रयाग) चैरी	सदस्य बीनादेवी जशोदादेवी [signature]	

[signature]

सहायक अभियन्ता प्र0ख0, लो0नि0वि0 कीर्तिनगर (मु0-देवप्रयाग)

प्रपत्र– 23

(73)

परियोजना का नाम: जनपद टिहरी [illegible] के [illegible] [illegible] चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– आमिल्सी

तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (0.569 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.483 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.052 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आमिल्सी द्वारा दिनांक 13-5-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आमिल्सी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

आमिल्सी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
वि0ख0 [illegible] टिहरी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
[illegible] लो0नि0वि0
[illegible] देवप्रयाग

दिनांक 13/05/2017 को ग्राम सभा की सामान्य बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	कमाल सिंह	कमल सिंह
	भारोसी देवी	भारोसी
	चन्द्रे	चन्द्रे
	नारण सिंग	नारव
	साकला	साकला
	गुड्डू	गुड्डू
	सोपती	सोपती
	दर्शनी देवी	दर्शनी देवी
	माया देवी	माया देवी
	[illegible]	[illegible]
	दाता राम	[illegible]

सहायक अभियन्ता
[illegible]
कीर्तिनगर [illegible]

ग्राम प्रधान

(75)

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के [illegible] के अंतर्गत [illegible] भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक [illegible] मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– मरोड़ा

तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (0.569 हे0 आरक्षित वन भू1, 0.483 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.052 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मरोड़ा द्वारा दिनांक 21-12-16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मरोड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मरोड़ा
क्षेत्र पंचायत जाखणीधार
जिला टिहरी गढ़वाल

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत मरोड़ा [illegible] जाखणीधार (टिहरी गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता [illegible] लो0नि0वि0 [illegible] कीर्तिनगर [illegible] (रुद्रप्रयाग)

दिनांक 21-12-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत मरोड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	उत्तम सिंह S/o कुलाल सिंह	उत्तमसिंह
2	अबल सिंह S/o " "	Abal Singh
3	सबल सिंह S/o " "	सबलसिंह
4	हरी सिंह S/o शैतान सिंह	हरीसिंह
5	कपूर सिंह मन्दवाल S/o मोट सिंह	[illegible]
6	बलवीर सिंह S/o गुलाब सिंह	बलवीर सिंह
7	अतरासिंह S/o स्व श्री रामसिंह	[illegible]
8-	वीरासिंह S/o स्व कुन्दन सिंह	वीरसिंह
9-	प्रेम लाल S/o गुन्दु मिस्त्री	प्रेमलाल
10	पुरण सिंह S/o कल्याण सिंह	पूरणसिंह
11-	प्रकाश सिंह S/o सुन्दर सिंह	[illegible]
12-	किशोरी लाल S/o बच्चू मिस्त्री	किशोरी लाल
13-	देव सिंह S/o ध्यान सिंह	देवासिंह
14-	हीरा मणी S/o रामप्रसाद	हीरामणी
15-	केवल सिंह S/o चन्दन सिंह	केवलसिंह
16-	खेम सिंह S/o सुन्दर सिंह	खेमसिंह
17-	राम सिंह S/o कालासिंह	राम सिंह
18-	लाखन सिंह S/o भेरा सिंह	लाखनसिंह
19-	रणवीर सिंह S/o " "	रणवीर सिंह
20-	पुत्तु लाल S/o सन्त्यूलाल	[illegible]
21-	अमर सिंह S/o अबल सिंह	अमरसिंह
22-	कलम सिंह S/o लाल सिंह	[illegible]
23-	खेम सिंह S/o रणजीत सिंह	खेम सिंह
24-	मबपाल सिंह S/o मोहर सिंह	[illegible]

सहायक अभियन्ता ...
ह0 /—
ग्राम प्रधान

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– जामटी

तहसील जाखणीधार जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत **चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़** तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु **(0.569** हे0 आरक्षित वन **भूमि, 0.483 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि)** अर्थात कुल **1.052** हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जामटी द्वारा दिनांक 16/04/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जामटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

16/04/17

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि0ख0 ... टिहरी गढ़वाल

ग्राम प्रधान

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0
कीर्तिनगर

दिनांक 16/04/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] राम	[illegible]
2	[illegible] प्रसाद पन्त	[illegible]
3	[illegible] प्रसाद [illegible]	N.P. Pant
4	प्रेम [illegible] लाल	[illegible]
5	मूर्तिराम पन्त थानकोट	Rant
6	ज्योति प्रसाद	ज्योति प्रसाद
7	लक्ष्मी प्रसाद	लक्ष्मी प्रसाद
8	[illegible] लाल	[illegible]
9	गोविन्द राम	[illegible] पन्त
10	[illegible] लाल	[illegible]
11	गणेश पन्त	गणेश पन्त
12	[illegible] प्रसाद	Ran
13	तारा देवी	
14	[illegible] देवी	[illegible]
15	राजेन्द्र प्रसाद	Ram
16	[illegible] राम	Sarkt
17	[illegible]	Bant

[illegible] अभियन्ता [illegible] [illegible]-देवप्रयाग

ह0/-

ग्राम प्रधान

प्रपत्र– 23

(79)

परियोजना का नाम– चौंडी घेरा जनपद टिहरी ग[illegible] के विधान सभा क्षेत्र [illegible] के अंतर्गत चौण्डी भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– खांडी

तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत **चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़** तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (0.569 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.483 हे0 **सिविल सोयम भूमि**, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.052 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण **विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खांडी द्वारा दिनांक 10/8/12 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूनि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घेरा - खांडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान दीपा देवी

खण्ड विकास अधिकारी जाखणीधार

अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 [illegible] देवप्रयाग

दिनांक 10/05/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - खांदी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	पीर पूर्णानन्द S/o हरिनन्द	पीर पूर्णानन्द
(2)	दिव्यारामु S/o चन्द्र बल्लव	दिव्यारामु
(3)	सुन्दर लाल S/o चन्द्र बल्लव	सुन्दरलाल
(4)	चरणी राम S/o संतेस्वर	Ram
(5)	शंकर माणि S/o बाचस्पति	शंकर माणि
(6)	कुशलानन्द S/o बाचस्पति	कुशलानन्द
(7)	परमानन्द S/o संतेस्वर	परमानन्द
(8)	गोविन्द राम S/o हरिनन्द	गोविन्दराम
(9)	किशोरी लाल S/o खिलानन्द	किशोरी लाल
(10)	~~[illegible]~~ S/o ~~[illegible]~~	~~[illegible]~~
(11)	जगदीश प्रसाद उर्फ सीताराम मिश्र S/o हरिनन्द	जगदीश प्रसाद
(12)	जगतराम मिश्र S/o हरिनन्द	जगत राम
(13)	देवेन्द्र प्रसाद मिश्र S/o बाचस्पति	देवेन्द्र प्रसाद
(14)	प्रभु लाल मिश्र S/o खिलानन्द	Prbhulal
(15)	बद्री प्रसाद मिश्र S/o श्रीनन्द	बद्री प्रसाद

सहायक अभियन्ता
स०क० ग्रा०नि०वि०
कीर्तिनगर (ग्र०–देवप्रयाग)

ह०/–
ग्राम प्रधान
दीपा देवी

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–09 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्ड़ों के अनुसार सड़क को दोनो किनारें एवं बीचों बीच पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0—10 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–11 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–12 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–13 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

मार्ग का नाम –	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–14 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–15 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि का परियोजना की लागत पर आर0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन राजि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्राक्लनानुसार धनराशि वनविभाग के पक्ष में रू0 3009600.00 की धनराशि ड्राफ्ट (ड्राफ्ट सं0–460313) के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक 1624/33सी0 दिनांक 02.09.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को प्रेषित कर दिया गया है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर
Phone no./Fax no. 01370-260070
E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

दिनांक 02/09/2024

पत्रांक 1624/33 सी

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषय – जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

सन्दर्भ – भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0–8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 28 / 2019 / एफ0सी0 / 1616 दिनांक 22.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनं मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त विषयक मार्ग के वन भूमि प्रत्यांवर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके शर्त सं0 15 के सीमांकन और स्तंभन की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी के पक्ष में जमा करने हेतु लिखा गया था, उक्त के क्रम मे राजि अधिकारी टिहरी द्वार। सीमांकन का आगणन रू0 3009600.00 का गठित कर इस खण्ड को प्रेषित किया गया है। जिसके सापेक्ष उक्त धनराशि का ड़िमाण्ड ड्राफ्ट सं0 460313 आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मागड्राफ्ट की प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को लौटाने की कृपा करें ताकि विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न – ड्राफ्ट सं0 460313 दिनांक 31.08.2024

02/09/24

(इं0 मौ0 आरिफ खान)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 1624/33 सी

दिनांक 02/09/2024

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 कीर्तिनगर मु0–देवप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

टिहरी वन प्रभाग
प्राप्ति दिनांक
05/09/24
(टिहरी गढ़वाल)

02/09/24

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

देने वाली शाखा State Bank of India
Branch: [redacted] NAGAR(GARHWAL)
CODE No: 03181
01346-252173

A/C Payee

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Sr. No: 197475

D D M M Y Y Y Y
31-08-2024

मांगे जानेपर PRABHAGIY VANADHIKARI TEHRI VAN PRABHAG NEW TEHRI**********

या उनके आदेश पर
OR ORDER

ON DEMAND PAY
रुपये RUPEES Thirty Lakh Nine Thousand Six Hundred Only

3009600.00

अदा करें ₹

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

9 8 7 6 5 4 3 2 1

000547460313 Key: SOCJAT Sr. No: 197475 AMOUNT BELOW 3009601(0/7)

Name of Applicant UPKOSHADHIKARI

[redacted]

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:NEW TEHRI TOWNSHIP
कोड क्रं. /CODE No: 08981

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈460313⑈ 000002000⑆ 000547⑈ 16

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–16 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–17 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–18 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तिरित नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–19 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं0 8वी0/यू0सी0पी0/06/28/2019/एफ0सी0/1616 दिनांक 22.10.2020 द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनंके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–20 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उसका भी पालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–21 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा, तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में कटाई नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–22 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम –	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं0–23 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं0 8वी0/यू0सी0पी0/06/28/2019/एफ0सी0/1616 दिनांक 22.10.2020 द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर अपलोड़ कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Chaundi_Bhadli_ghatdhar_Motor road.doc